प्रेत.

दा० 23/08/2022

# कार्यालय अंचल अधिकारी,गोमिया(बोकारो)

(3)

अभिलेख सं0 :– 23 /2021–22
केश का प्रकार :– विविध वाद
अंचल का नाम :– गोमिया जिला –बोकारो

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख 1 | आदेश फलक 2 | आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख 3 |
| --- | --- | --- |
| 03-02-22 | आवेदक–अनिल कुमार सोरेन, पिता–पैरा सोरेन, ग्राम–खम्हरा (शहर टोला), पो0–आई0ई0, गोमिया, थाना–आई0ई0एल0, गोमिया, जिला–बोकारो द्वारा आवेदन प्राप्त है। उक्त आवेदन में आवेदक द्वारा वर्णित किया गया है कि मौजा–खम्हरा, थाना सं0–104, खाता सं0–06, प्लॉट सं0–248, जिसका खतियान मेरे परदादा स्व0 बाबुका माँझी उर्फ बबुआ माँझी के नाम से दर्ज है। जिकस मैं मालगुजारी रसीद कटवाते आ रहा हूँ। उपरोक्त भूमि पर (1) लखन लाल चौहान, पिता–स्व0 गुलाब शंकर बेलदार, रकवा–0.46ए0, (2) विजय यादव, पिता–स्व0 शिवमंगल यादव एवं स्पेश कुमार यादव, पिता–स्व0 कमलदेव यादव, रकवा–0.06ए0, (3) पार्वती देवी, पति–लालमुनि सिंह, रकवा–0.04ए0 भूमि सभी लोग ग्राम–खम्हरा, टोला–कसवागढ़, पो0–आई0ई0, गोमिया, जिला–बोकारो के निवासी द्वारा उक्त भूमि पर जबरन अवैध रूप से कब्जा किए हुए है। जो उपरोक्त भूमि CNT Act-1908 की धारा 46(A) के तहत् संरक्षित है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि का जाँच करते हुए खतियानी भूमि को कानूनी प्रक्रिया करते हुए उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन पत्र जाँच हेतु राजस्व उप निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक को दें। तत्पश्चात् अभिलेख दिनांक–...18.../...02.../2022 को उपस्थापित करें।<br><br>(हस्ताक्षर) 3.2.22<br>अंचल अधिकारी<br>गोमिया। | |
| 25/0 | | |
| 18-02-22<br>28-02-22 | अभिलेख उपस्थापित।<br>अभिलेख का अवलोकन किया। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गोमिया अंचल अन्तर्गत मौजा–खम्हरा, थाना सं0–104 खाता सं0–06, प्लॉट सं0–248 एवं अन्य, कुल रकवा–7.82ए0 भूमि, रैयती खाते की है। उक्त भूमि खतियानी एवं आदिवासी खाते की है। सर्वे खतियान बाबुका माँझी के नाम से दर्ज है।<br>पंजी–II के अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि पंजी–II के पृष्ठ सं0–07, भौलुम सं0–I पर महादेव माँझी के नाम से जमाबन्दी दर्ज है। सरकारी राजस्व लगान रसीद वित्तीय वर्ष 2021–22 तक निर्गत है। आवेदक द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि CNT Act-1908 की धारा [illegible]रक्षित रहने के कारण भी गैर आदिवासियों द्वारा (1) लखन लाल चौहान, | |

दि० 23/05/2022

22 अभिलेख उपस्थापित।

22 अभिलेख का अवलोकन किया। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्षों द्वारा कार्यालय में अपना पक्ष रखने हेतु भूमि से संबंधित सभी राजस्व कागजात के साथ उपस्थित हुए। पार्वती देवी अनुपस्थित। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उक्त वाद की सुनवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा निम्न बातें बताई गई।

1. लखन लाल चौहान की ओर से प्रमिला देवी द्वारा वासगीत पर्चा के आधार पर दावा कर रही है। खाता सं0–06, प्लॉट सं0–248, रकवा–0.07ए0 पर दावा करती है।
2. विजय यादव की ओर से संगीता देवी द्वारा सादा हुकुमनामा प्रस्तुत किया गया, जो विवादित भूमि से अलग है। खाता सं0–46, प्लॉट सं0–251, रकवा–0.21ए0 भूमि।
3. शांति देवी (रूपेश कुमार यादव की माँ) पति–स्व0 कमलदेव यादव का कहना है कि पूर्व में स्व0 रूपलाल माँझी को 60000/–(साठ हजार) रूपया देने के पश्चात मुझे एकरारनामा द्वारा उक्त भूमि प्राप्त है।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दोनों पक्षों को सुनने एवं राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा पुनः प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त विवादित भूमि आदिवासी खाते से संबंधित है, जो गैर आदिवासी के द्वारा दखल किया गया है। उक्त मामला छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71A से संबंधित है।

अतः प्रथम पक्ष सक्षम न्यायालय में भू–वापसी के लिए आवेदन कर सकते है। इस विवेचन के साथ ही इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(लेखापित)

31.12.22

**अंचल अधिकारी,**
**गोमिया।**

Digitally signed by Md. Sarab Alam
Date: 2024.12.2 ... +05:30
Location: ...